

102

प्रारूप-57

कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र

पट्टा जिन्हें पहले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और राज्य प्राविधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन लेने का फार्म।

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाना है)

1. पत्र संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी है। (प्रति संलग्न करें) -
2. परियोजना के विवरण :-
 - (1) प्रस्ताव और परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है।
 - (2) 1:50,000 के स्केल मैप पर वन के आस-पास की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र।
 - (3) परियोजना की लागत।
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार ब्योरा (जो पहले से ही ले ली है या लिए जाने वाली है)।
4. अनुदेशों के अन्तर्गत आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का ब्योरा।

लागू नही है,

तारीख:

स्थान:-

हस्ताक्षर
(नाम बड़े अक्षरों में) श्री गौतम कुमार
पदनाम कमांडेंट
पता (प्रयोक्ता एजेन्सी का) जिला प्रशिक्षण केंद्र टिकारपुर
श्रीनगर (गढ़वाल)।

COMMANDANT
DIST TRAINING CENTER
HOME GUARD
SHRINAGAR (GARHWAL)